



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 10.01.2023

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पता-

साजिद पुत्र साहिद निवासी ग्राम व थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना सि0 अहीर जनपद बागपत ।
- 2.का0 467 टिंकू अधाना थाना सि0 अहीर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक- 10.01.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 22/23 धारा 393 भादवि से
सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 09.01.23 को वादी श्री फहीम पुत्र शरीफ निवासी ग्राम इदरीशपुर थाना बडौत द्वारा अभियुक्त हर्ष पुत्र सुधीर निवासी ग्राम सरूरपुर थाना बागपत को उसकी मां के कुन्डल छीनने का प्रयास करते समय पकड़कर थाना बडौत पर लाया गया । थाना बडौत पुलिस द्वारा अभियुक्त हर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 22/23 धारा 393 भादवि पंजीकृत किया गया ।



उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

हर्ष पुत्र सुधीर निवासी ग्राम सरूरपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-का0 1085 आशीष यादव थाना बडौत ।
- 2-का0 712 विनय कुमार थाना बडौत ।



प्रेस नोट

थाना बडौत दिनांक 10.01.2023

थाना बडौत पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए अवैध अस्लाह के साथ फोटो के आरोपी सहित अवैध अस्लाह रखने वाले अन्य अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक अवैध पौनिया 12 बोर व एक अवैध तंमचा मय 05 जिन्दा कारतूस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

सोशल मीडिया पर एक युवक का अवैध अस्लाहों के साथ फोटो वायरल हुआ था, जिसका संज्ञान लिया गया एवं युवक को चिन्हित किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल हुए अवैध अस्लाहों के साथ फोटो के आरोपी सहित अवैध अस्लाहों को रखने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक अवैध पौनिया 12 बोर व एक अवैध तंमचा .315 बोर मय 05 जिन्दा कारतूस बरामद हुए हैं।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता –

- 1-नीशू पुत्र सुरेन्द्र निवासी लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-सुरेन्द्र पुत्र कालेराम निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी की विवरण—

- एक अवैध पौनिया 12 बोर।
- एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय 05 जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री श्याम सिंह थाना बडौत।
- 2-है०का० 22 जितेन्द्र सिंह।
- 3-का० 437 बलजीत सिंह।
- 4-का 438 कवित कुमार।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 10.01.23

थाना बडौत पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर एक युवक की अस्लाह के साथ वायरल हुए फोटो की जांच करने गई पुलिस टीम को पिस्टल दिखाने वाले अभियुक्त को हिरासत में लिया, जिसके कब्जे से नकली पिस्टल (लाईटर) बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

सोशल मीडिया पर एक युवक का अवैध अस्लाहों के साथ फोटो वायरल हुआ था, जिसका संज्ञान लिया गया एवं युवक को चिन्हित किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर अस्लाह के साथ वायरल हुए फोटो/वीडियों की जांच करने गई पुलिस टीम को पिस्टल दिखाने वाले अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है। जिसके कब्जे से नकली पिस्टल (लाईटर) बरामद हुई है ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति



अवैध अस्लाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

हिरासत में लिये गए अभियुक्त का नाम पता –

1-आकाश लोहान पुत्र वीरेन्द्र लोहान निवासी न्यूराम नगर बिनौली रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी की विवरण—

- एक नकली पिस्टल (लाईटर) ।

हिरासत में लेने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री रजत कुमार ।

2-है०का० 111 मुन्नालाल ।

3-है०का०322 राजकुमार ।



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक 10.01.2023

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 09/023 धारा 457/380/427 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ 06 किलोग्राम बिजली फिटिंग वायरिंग का जला हुआ तार बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.01.23 को थाना दोघट पर वादी श्री इमरान खान पुत्र हाजी सफीउल्ला खाँ निवासी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टीकरी थाना दोघट ने सूचना दी कि दिनांक



04.01.23 की रात्री में अज्ञात चोरों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टीकरी की ऊपरी मंजिल की छत की फिटिंग व दीवारों की फीटिंग को तोडफोड कर तार चोरी कर लिया । दिनांक 08.01.23 की रात्री में पुनः अज्ञात चोरों द्वारा स्वास्थ्य केन्द्र की नीचे की मंजिल में ताला तोडकर अन्दर घुसकर वायरिंग निकालकर जलाया तथा तार को चोरी कर लिया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 09/23 धारा 457/380/427 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 09/2023 धारा 457/380/427 का सफल अनावरण करते हुए

03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ 06 किलोग्राम बिजली फिटिंग वायरिंग का जला हुआ कोपर का तार बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-सागर पुत्र प्रकाश निवासी पट्टी दाबडा कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत।

2-निखिल पुत्र नरेश निवासी पट्टी दाबडा कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत।

3-दीपक पुत्र अशोक निवासी पट्टी दाबडा कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 06 किलोग्राम बिजली फिटिंग वायरिंग का जला हुआ कोपर का तार । (सम्बन्धित मु0अ0सं0 09/23 धारा 457/380/427/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री शिववीरसिंह भदौरिया थाना दोघट जनपद बागपत ।

2-है0का0 300 रामवीर सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।

3-है0का0 96 संजय पूनिया थाना दोघट जनपद बागपत ।

4-का0 492 अनुज कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक 10.01.2023

थाना छपरौली पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता:-

श्याम सिंह पुत्र सुखबीर निवासी ग्राम कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री धीरज कुमार थाना छपरौली ।

2-का 369 विशाल कुमार थाना छपरौली ।